27/7/2024

पत्रा. पेश हुई। लकु० उप.। अप्रार्थी संख्या 2
की ओर से श्री ओमप्रकाश एडवो. उपस्थित
हुए। वकालतनामा पेश किया। जो दावा में
संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 to 7 की
तलबी जरिये रजि० एडी दिनांक 22/4/2021
से कराई गई। एडी लौटकर नहीं आई तामील
मानी जाती है। बावजूद तलबी शेष अप्रार्थीगण
उपस्थित नहीं हुए। अतः उनके खिलाफ एकतरफा
कार्यवाही अमल में लाई जाती है।
वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रा०पत्र
न देते हुए सीधी बहस प्रा०पत्र की गई।

[illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किया गया पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र की मद सं. 2 में वर्णित विवादित आराजीयात वाके ग्राम महरमपुर पर स्थित है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त सहकाश्तकारी की आराजी है। जिस पर मनबंट अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को जोतने-बोने में व्यवधान उत्पन्न करना जाहिर किया है। तथा स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु उक्त विवादित आराजीयात एक बाबत एक वाद मुकदमा सरोज बनाम परितोष अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA के साथ प्रा० पत्र 212 RTA का पेश किया गया है। जिसमें समान पक्षकार - समान रिलीफ समान - विवादित आराजी वर्णित है। जिसमें प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 2 में विवादित आराजीयात पर उभयपक्षकारान को रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया हुआ है। तथा पूर्ववर्ती प्रा० पत्र में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। अतः उक्त प्रा० पत्र 212 RTA को पूर्ववर्ती दावा संख्या 92/20 सरोज बनाम परितोष के साथ उक्त दावा संख्या 8/21 प्रा० पत्र संख्या ... अखिल / सत्यप्रकाश बनाम ज्ञानप्रकाश कंसोलिडेट किया जाता है।	10/10/21 11/11/21 15/12/22 ...